

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । आदेश

02 नि. / स्था. अनु. (प्रो.) (13) - 02 / 2011

वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2937 दिनांक 31.03.2011, संकल्प संख्या 3972 दिनांक 12.05.2016 तथा संकल्प संख्या 7577 दिनांक 23.09.2016 के तहत सहकारिता विभाग के निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित निम्नांकित कार्यालय परिचारी को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 25.01.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका-5(i) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार दिनांक 01.01.2009 तक अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित पुनरीक्षित लेवल में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	वित्तीय उन्नयन की तिथि/पुनरीक्षित लेवल			अभ्युक्ति
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री दिवाकर सिन्हा	20.01.68	29.06.87	X	X	29.06.17 Level-4	

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 के आलोक में किया जा सकेगा।


3. संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित कार्यालय परिचारी की सेवा-पुस्त की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी सेवा संपुष्ट है तथा वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामले में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरान्त किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

4. वेतन निर्धारण के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय परिचारी संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3972 दिनांक 12.05.2016 तथा संकल्प संख्या 7577 दिनांक 23.09.2016 के अनुसार इनके वेतन के निर्धारण की कार्रवाई (यदि अनुमान्य हो) की जा चुकी है।

5. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

6. उपर्युक्त कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो सम्बन्धित कर्मी को स्वीकार्य होगा।

7. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


(विकास रंजन प्रसाद)
सहायक निबंधक (अ.र.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

कृ.पू.उ.

ज्ञापांक 1141 / पटना, दिनांक 30.01.18

02 नि. / स्था. अनु. (प्रो.) (13) - 02 / 2011

- प्रतिलिपि :-
1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. संबंधित संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित) / प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा / संबंधित उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ / जिला सहकारिता पदाधिकारी / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ / सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (खादी सहित) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 नि., 7-नि. एवं 01-नि. / सभी सम्बन्धित कार्यालय परिचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Handwritten signature and date: 30/1/18

सहायक निबंधक (अ.र.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	स्थिति
1
2
3

Handwritten mark: vm

Handwritten signature and text at the bottom left.